

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या-28/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्रीमति गीगा देवी पत्नी राजूराम जाति राईका निवासी लंगोड तहसील डेगाना जिला नागौर।		1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. श्रीमति रेखा देवी पत्नी भगवानदास जाति सिंधी निवासी झगडवास तहसील डेगाना जिला नागौर।		2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
प्रार्थीगण जरिये आम मुख्यधार रामेश्वरलाल पुत्र राजूराम जाति राईका निवासी लंगोड तहसील डेगाना जिला नागौर		3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर।
		4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं कार्यपालक इंजीनीयर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्लॉक नागौर।

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।
2. अप्रार्थी 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री राकेश धनकड़ एवं श्री अनिल गौड़।
3. अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांक: 16.10.17

1-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्सारखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अर्वाड दिनांक 15.07.2015 जिसके द्वारा प्रार्थी की ग्राम लंगोड के खसरा नम्बर 241 में से 0.0300 हेक्टर भूमि अवाप्ति की जाकर मुआवजा निर्धारित किया गया है, के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थता मध्यस्थता प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया।

2-प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1, 2 व 4 की ओर से जबाब आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3- वकील अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में आंशिक अर्वाड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित एवं परिवर्तित करने हेतु यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त आंशिक अर्वाड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित कर दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अर्वाड पारित कर दिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अब सारहीन हो गया है। जिसके संबंध में प्रस्तुत जवाब में प्रारम्भिक आपत्ति में भी कथन किया गया है। अतः प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन होने के बिन्दु पर बहस सुनी जाकर उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने भी वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 द्वारा किये गये कथनों पर सहमति व्यक्त की।

4- पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथनों पर विचार किया गया। चूंकि प्रकरण में आंशिक अर्वाड दिनांक 15.07.2015 को प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा संशोधित कर दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अर्वाड पारित किया जा चुका है। अतः प्रकरण में वकील अप्रार्थी व राजपैरोकार का कथन उचित प्रतीत होने से मध्यस्थता प्रार्थना पत्र के सारहीन होने के संबंध में वकूलाय की बहस सुनी गई।

4(1)- वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी के प्रकरण में भूमि अवाप्ति किये जाने हेतु पारित आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है, परन्तु तत्पश्चात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के लागू हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण में पूर्व में पारित आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित कर दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अर्वार्ड पारित कर पूर्व अर्वार्ड में पारित राशि से अधिक राशि का अर्वार्ड पारित किया गया है। तत्पश्चात् सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं के सन्दर्भ में भी दिनांक 6.5.2016 को समुचित अर्वार्ड पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम 1956 की धारा 3क के अनुसरण में अवाप्ति की गई भूमि के सन्दर्भ में अंतिम अर्वार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया जा चुका है।

4(2)- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र के माध्यम से आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है, जो कि प्रीमैच्योर है, क्योंकि उक्त आंशिक अर्वार्ड के पश्चात् सक्षम अवाप्ति अधिकारी द्वारा संशोधित अर्वार्ड दिनांक 16.10.2015 व संरचनाओं का अर्वार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों अर्वार्ड पारित किये जाने से पूर्व में ही केवल मात्र आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 को चुनौती दी गई है। इसलिए प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने खारिज किये जाने योग्य है।

4(3)- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित निर्णयों में यही व्यवस्था दी है कि यदि प्रकरण में चाहा गया अनुतोष पश्चात्बर्ती घटना के आधार पर सारहीन हो जावे तो इस प्रकार के प्रकरणों को सारहीन होने से खारिज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र बाबत आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अर्वार्ड पारित कर दिया गया है एवं तत्पश्चात् सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं के सन्दर्भ में भी दिनांक 6.5.2016 को समुचित अर्वार्ड पारित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रीमैच्योर एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5- अप्रार्थी संख्या-3 की ओर राजपैरोकार वकील अप्रार्थीगण की बहस का पुरजोर समर्थन करते हुए कथन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया। परन्तु आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अर्वार्ड पारित कर पूर्व अर्वार्ड में पारित राशि से अधिक राशि का अर्वार्ड पारित किया जा चुका है एवं संरचनाओं का अर्वार्ड दिनांक 6.5.2016 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रीमैच्योर एवं सारहीन होने से निरस्त करने का निवेदन किया है।

6- वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में वकील अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथनों का विरोध करते हुए कथन किया की-

6(1)-अप्रार्थीगण द्वारा यह अभिकथित करना कि 15.07.2015 के अर्वार्ड को संशोधित कर दिया गया है है, यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि 15.07.2015 का अर्वार्ड अपर्याप्त, अपूर्ण विधि के प्रावधानों से प्रार्थीगण को लामान्वित नहीं करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी पक्षकार है, लेकिन उनकी तरफ से वर्तमान कार्यवाही में यह कभी भी नहीं कहा गया कि उनके द्वारा हस्तगत प्रकरण में 15.07.2015 के अर्वार्ड को संशोधित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अभिकथित किया गया है कि अर्वार्ड 15.7.2015 को संशोधित कर परिवर्द्धित किया गया है और उनके द्वारा उक्त कथन करने के साथ ही कथित आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 को चुनौती दिया जाना कानूनी रूप से विधि बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं होने का कथन किया है, उक्त सभी कथन मनमाने और प्रार्थीगण को विधि द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। जिस अर्वार्ड को प्रार्थी द्वारा चैलेंज किया गया है, उक्त अर्वार्ड अपर्याप्त और अपूर्ण अर्वार्ड था और अप्रार्थीगण द्वारा यह कहा जाना कि कथित अर्वार्ड दिनांक 16.10.2015 एवं 6.05.2016 को संशोधित कर दिया गया है, जिसे प्रार्थीगण को बिना किसी पृथक अभिवचन और साक्ष्य के बजाय हर्ष कानून अप्रार्थीगण की केवलमात्र स्वीकारोक्ति के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अप्रार्थी की प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7- वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक एस्.सी.सी. (2004)-11 पेज 168 का अद्योपान्त अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार-

7(1)- प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आंशिक अर्वार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित/परिवर्तित किये जाने हेतु मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया। परन्तु

तत्पश्चात भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के लागू हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में दिनांक 16.10.2015 को संशोधित अवार्ड पारित कर पूर्व अवार्ड में पारित राशि से अधिक राशि का अवार्ड पारित किया जा चुका है एवं संरचनाओं का अवार्ड दिनांक 5.6.2016 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रीमेच्योर एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी का यह कथन की प्रकरण में चाहा गया अनुलोष पश्चातवर्ती घटना के आधार पर सारहीन हो जावे तो इस प्रकार के प्रकरणों को सारहीन होने से खारिज किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी के उक्त कथन को उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त से भी बल मिलता है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं घटनाक्रम के सन्दर्भ में वकील अप्रार्थी के कथन पूर्णतया विधि सम्मत एवं उचित प्रतीत होते हैं।

7(2)-वकील प्रार्थी द्वारा आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 के विरुद्ध हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2016 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 को ही अर्थात् हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही पारित कर दिया गया था।

7(3)-वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस से वकील अप्रार्थी के कथनों के खण्डन स्वरूप ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे की वकील अप्रार्थीगण की प्रारम्भिक आपत्ति को नजरअंदाज किया जा सके।

7(4)-अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2016 प्रीमेच्योर एवं सारहीन होना पाये जाने से वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 छः(6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 को निरस्त किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य विवाद के समाधान हेतु मध्यस्थता के जरिये हल करने के संबंध में मध्यस्थ नियुक्त किये गये हैं। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 एवं संरचनाओं के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 06.05.2016 से असहमत होने पर उक्त संबंध में नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रखा जाता है।

8-आदेश सुनाया गया।



(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर, नागौर